न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
006/2017 (GCMS 2017/00126)	04.01.2017	03.02.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

जगदीशचन्द्र लढ्ढा पुत्र बंशीलाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स श्रीनाथ दुध दही भण्डार नवाबगंज निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी तेलियों के मंदिर के पास, नया बाजार वार्ड नंबर 15, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि देवेन्द्र सिंह राणावत दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौडगढ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016 /465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था, और जिला चितौडगढ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है के गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छायाप्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2016 को समय 06.20 पीएम पर मैसर्स श्रीनाथ दुध दही भण्डार नवाबगंज निम्बाहेड़ा जिला चितौडगढ राजस्थान पर पहुँचा। वहां पर श्री जगदीश चन्द्र लढ्ढा पुत्र श्री बंशीलाल उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ स्पेशल मिक्स केक (गोपीका) व दुध, दही आदि खाद्य पदार्थ आम जनता को विक्रय कर रहे थे, एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर गवाहान की उपस्थिति में विक्रेता से खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:46 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हेतु कहा गया, जो कि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं विक्रेता के पास वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं पाया गया। मौके पर गवाहान श्री मनोहर लाल एवं श्री मुकेश राजोरा की उपस्थिति में मैने अपना परिचय पत्र विक्रेता जगदीश चन्द्र लढ्ढा को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर 09 कार्टून जो कि लगभग दो–दो किलो वजनी होकर सील्ड अवस्था में थे। व्यापारी ने बताया कि उक्त स्पेशल मिक्स केक (गोपीका) आम जनता को उपभोग एवं विक्रय हेतु तैयार की गई है एवं विक्रय किया जा रहा है। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ स्पेशल मिक्स केक (गोपीका) का नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर V-A की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जो की न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त स्पेशल मिक्स केक (गोपीका) 09 सील्ड कार्टून (जो कि लगभग दो–दो किलो वजनी थे, जिस पर ध्यान से देखने पर उस पर स्पेशल मिक्स केक (गोपीका), **Veg- Logo-Prsent, Fresh & Delicious, Contents-Milk Powder, Refined Palm Oil Sugar, Cardamom Property Food (Sweet), Batch No-& Nil, Date of Packing- Nil, Expiry Date- Nil, Packed by-Nil** आदि अंकित है) में से 2 किलोग्राम स्पेशल मिक्स केक (गोपीका) वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 300/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। साथ ही फर्म श्रीनाथ दुध दही भण्डार द्वारा प्रस्तुत दुकान एवं वाणिज्य संस्थान के रजिस्ट्रेशन, फर्म के विद्युल बिल, स्वयं के राशन कार्ड की फोटो प्रति भी संलग्न है। साथ ही गवाह मुकेश राजौरा द्वारा प्रस्तुत स्वंय के पहचान हेतु राशन कार्ड की फोटो प्रति भी संलग्न है यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा स्पेशल मिक्स केक (गोपीका) को चार बराबर भागो मे बाट कर चार जारो मे अलग–अलग भरकर प्रत्येक में 40–40 बूंदे फ०र्मलीन की बतोर प्रिजरवेटिव डालकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया, उक्त नमुना भागो हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर मैने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व गुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ डॉ०. इन्द्रजीत सिंह की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-757** नियगानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पंदै तक व वापरा गीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। विक्रेता नमूना [illegible] पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें क[illegible]र स्लिप व रेपर दोनों पर आवें

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:46 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं सीलवन्द नगुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नगुने का पुर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नगुने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीएटेड लैव मे जाँच कराने की जानकारी मौके पर ही मेरे द्वारा दे दी गई थी। शेष बचे स्पेशल मिक्स केक (गोपीका) के (सील्ड लगभग दो–दो किलो के) 3 कार्टूनों को मिलावट का शक प्रबल होने के कारण मेरे द्वारा जप्त किये जाने की सूचना प्रारूप 2 तैयार कर दी गयी एवं प्रारूप 3 व 4 भरकर उक्त खाद्य पदार्थ स्पेशल मिक्स केक (गोपीका) को सीज किया गया जप्त किया गया। प्रारूप 2, 3 व 4 मुल ही संलग्न है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमून सील चपड़ी किया गया. उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनागा पर अंकित किया गया। फर्द रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग नय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला. उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग गय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त खाद्य पदार्थ स्पेशल मिक्स केक (गोपीका) को सीज करने की सूचना मेरे द्वारा लिखित में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ को दी गयी, जो कि गुल ही संलग्न है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ के पत्र क्रमांक/**FSSA/2016/5925** दिनांक 30.11.2016 द्वारा ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा उक्त स्पेशल मिक्स फेक (गोपीका) का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि मिसब्रान्ड व सब्सटेण्डर्ड होना पाया गया। जाँच रिपोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मैसर्स श्रीनाथ दुध दही भण्डार को अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई, जिसकी कार्यालय प्रति मय मूल पोस्टल रसीद के साथ संलग्न है। मैसर्स श्रीनाथ दुध दही भण्डार के संविधान के सम्बन्ध में पाणिज्य कर विभाग, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ से जानकारी चाही गई। जिनका प्रत्युत्तर मूल ही संलग्न है। मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:46 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5925 दिनांक 30.11.2016 की पालना में श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौडगढ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/**FSSA/2016/17** दिनांक 03.01.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया हैं, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में निम्न अभियुक्तों ने मिसब्रान्ड व सब्सटेण्डर्ड स्पेशल मिक्स केक (गोपीका) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया है जिसका जुना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 व 51 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु श्रीमान को प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्तो को दण्डित करावे साथ ही उक्त सीजशुदा स्पेशल मिक्स केक (गोपीका) के निस्तारण बाबत् भी आदेश प्रदान करावे।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 06.02.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं हाजिर आया। दिनांक 22.02.2018 को अप्रार्थी ने जवाब पेश किया अपने जवाब में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से इन्कार कर बताया कि विपक्षी अप्रार्थी का मात्र सरस दुध व सरस डेसरी चितौडगढ़ के पैक्ड उत्पाद विक्रय करने का व्यवसाय है । इसके आलावा अप्रार्थी अन्य किसी प्रकार कि मिठाई आदी का निर्माण या विक्रय नही किया जाता है। कथित सैम्पल जिस माल का तारीख 27.10.2016 खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया बताया प्रार्थी का नही होकर अन्य व्यापारी का था जो कुछ समय के लिये उक्त व्यापारी द्वारा मुझ प्रार्थी की दुकान पर रखा गया था । उक्त कथित माल का मुझ प्रार्थी से कोई सम्बन्ध नही था तथा उक्त माल पैक्ड था तथा किसी ग्राहक को बेचा नही जा रहा था। मात्र आपसी सम्बन्धो के चलते अन्य व्यापारी अपना माल अपना काम निपटाने के बाद वापस ले जाने के लिये मुझ प्रार्थी की दुकान पर कुछ समय के लिये रख कर गया था। उक्त माल जो कि पैक किया हुआ था, इसलिये बन्द पार्सल में क्या था उपयोग के लिये था, इसकी जानकारी मुझ अप्रार्थी को नही थी। कथित माल मुझ अप्रार्थी का नही था न ही मेरा उस माल से कोई सम्बन्ध था न मेरा उक्त माल को विक्रय या अन्य किसी प्रकार उपयोग करने का कोई प्रयोजन था न मे अपनी इच्छा से किसी अन्य के भाल का उपयोग या उसका विक्रय कर सकता था। इसलिये मेरा कोई आपराधिक उद्धेश्य भी नही होता था। उक्त माल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जब्त नही किया गया था। यदि किया गया होता तो परीवाद मे फार्म नं0 2,3,4 **FSSAIAct** का उल्लेख किया गया होता जो नही किया गया है। न ही धारा **46(4)FSSAI Act** केआदेशात्मक प्रावधानो की पालना नही कि गई है, तथा तुझ प्रार्थी को **46(4) FSSAI Act** नोटिस नही दियया गया है, जिससे प्रार्थी महत्वपूर्ण वैधानिक अधिक[illegible] वंचित रहा है। मुझ अप्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:46 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरुद्ध गलत प्रकरण दर्ज किया गया है। मुझ प्रार्थी का कथित माल से किसी भी तरह प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से कोई सम्बन्ध नही था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझ अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त कार्यवाही को ड्राप फरमाये जाने का आदेश फरमावे।

दिनांक 03.02.2021 को अप्रार्थी स्वयं हाजिर आये तथा जवाब प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया बताया प्रार्थी का नही होकर अन्य व्यापारी का था जो कुछ समय के लिये उक्त व्यापारी द्वारा मुझ प्रार्थी की दुकान पर रखा गया था । उक्त कथित माल का मुझ प्रार्थी से कोई सम्बन्ध नही था तथा उक्त माल पैक्ड था तथा किसी ग्राहक को बेचा नही जा रहा था। मात्र आपसी सम्बन्धो के चलते अन्य व्यापारी अपना माल अपना काम निपटाने के बाद वापस ले जाने के लिये मुझ प्रार्थी की दुकान पर कुछ समय के लिये रख कर गया था। उक्त माल जो कि पैक किया हुआ था, इसलिये बन्द पार्सल में क्या था उपयोग के लिये था, इसकी जानकारी मुझ अप्रार्थी को नही थी । कथित माल मुझ अप्रार्थी का नही था न ही मेरा उस माल से कोई सम्बन्ध था न मेरा उक्त माल को विक्रय या अन्य किसी प्रकार उपयोग करने का कोई प्रयोजन था न मे अपनी इच्छा से किसी अन्य के भाल का उपयोग या उसका विक्रय कर सकता था। इसलिये मेरा कोई आपराधिक उद्धेश्य भी नही होता था। अप्रार्थी के विरुद्ध गलत प्रकरण दर्ज किया गया है। मुझ प्रार्थी का कथित माल से किसी भी तरह प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से कोई सम्बन्ध नही था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझ अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त कार्यवाही को ड्राप फरमाये जाने का आदेश फरमावे। इसी ईश्तदुआ के साथ अप्रार्थी ने अपना कथन समाप्त किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये न्यायिक दृष्टांतो का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का मनन किया। उक्त प्रश्नगत खाद्य पदार्थ अप्रार्थी के कब्जे से बरामद किया गया है जिसकी पुष्टि फर्द पंचनामा से होती है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब की पुष्टि किये जाने के संबंध में कोई भी तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **LS 662/Act/2016/651** दिनांक 04.11.2016 का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ स्पेशल मिक्स केक (गोपीका) मिस ब्रांड एवं सब–स्टेन्डर्ड होना पाया गया है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ANALYSIS REPORT --

(i) Sample description:- The Sample contained in wide mouth glass jar screwed with lid. The coloured photo copy of label (Carton) Enclosed with sample bottle. Photo given for special mix cake which is similar to milk cake(Misleading) Contravention to Regulation 2.3.1(5) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011. Ingredients milk powder Ref. plam oil, sugar, cardamom.

(ii) Physical appearance:- Creamish in color.

(iii) Label :-- Loose Sample of Special Mix Cake As per form No. VI. The sample is taken from 2kg sealed carton. Brand- Gopika, Name of food- Special Mix Cake, Mfd by- Absent, Pkd. on- Absent, Batch No.- Absent, Green symbol of veg.- Present. Ingredients- Absent. Best before- Absent,. Contravention to Regulation 2.2.2(3), 2.2.2(6), 2.2.2(7), 2.2.2(8), 2.2.2(9) & 2.2.2(10) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.

Opinion:- The sample Special Mix Cake (Gopika-Loose) Bearing code no. and serial no. AM- 757 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh Is sub-standard as Butyrorefractometer i eading at 50°c does not meet as per the prescribed provision as per Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Standards Act 2006. The sample is misbranded food under section Food Safety and Agnie 3(1)(21)(A)(ii)(B)(1)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ स्पेशल मिक्स केक (गोपीका) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(21)(A)(ii)(B)(1)(C)(i)** के तहत मिस ब्रांड, सब–स्टेन्डर्ड का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने मिस ब्रांड, सब स्टेन्डर्ड स्पेशल मिक्स केक (गोपीका) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थीगण अप्रार्थी जगदीशचन्द्र लढ्ढा पुत्र बंशीलाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स श्रीनाथ डेयरी भण्डार नवाबगंज निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी तेलियों के मंदिर के पास, नया बाजार वार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:46 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नंबर 15, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51–52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-
(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.
Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

52. Penalty for misbranded food.
(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.
(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त जगदीशचन्द्र लढ्ढा पुत्र बंशीलाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स श्रीनाथ दुध दही भण्डार नवाबगंज निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी तेलियों के मंदिर के पास, नया बाजार वार्ड नंबर 15, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ को की दोषी सिद्धि होने से अभियुक्तगणों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन करने से अभियुक्त जिला चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को 15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:46 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **03.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:46 IST
Reason: SelfAttested